21.4.25 पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शुरुवे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

-:निर्णय:-

दिनांक :- 21.08.2025

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 मे पेश किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार यह है कि प्रार्थीया जो वृद्ध व घरेलू महिला है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि चक 2 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 193/9 जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 में कुल तादादी 0.759 हैक्टेयर अर्थात 3 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 2 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 193/9 में प्रार्थीया की भूमि का विवरण निम्नलिखित अनुसार है - चक नम्बर 2 एस. टी.जी पत्थर नम्बर 101/259 (36) किला नम्बर 15, 16, 25 तादादी 0.759 हैक्टेयर नहरी।

प्रार्थीया की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के चिपते हुए ही अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थी सख्या 1 की भूमि का विवरण निम्नलिखित अनुसार - चक नम्बर 2 एस.टी.जी. पत्थर नम्बर 102/259 (35) किला नम्बर 11/1, 20/1, 21/1 तादादी 0.507 हैक्टेयर नहरी, पत्थर नम्बर 102/260 (24) किला नम्बर 9/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2 कुल 0.556 हैक्टेयर नहरी (0.114 हैक्टेयर गैर मुमकिन सडक) कुल तादादी 1.177 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन सडक (1.063 हैक्टेयर नहरी, 0.114 हैक्टेयर गैर मुमकिन सडक)।

प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में पडौसी काश्तकार के साथ सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी कलक्टर हनुमानगढ

को लेकर विवाद था इस कारण प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर अप्रार्थी सख्या 2 तहसीलदार, हनुमानगढ के समक्ष भूमि पैमाईश करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार, हनुमानगढ के आदेश क्रमांक भू.अ. /03 दिनांक 24.04.2024 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा मौका पर जाकर सीमाज्ञान करवाया गया तथा उपस्थित काश्तकारो के समक्ष सीमाज्ञान करवाने की कार्यवाही दैनिक डायरी पर सहमति के हस्ताक्षर भी करवाये लेकिन अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा दैनिक डायरी पर हस्ताक्षर नही किये गये। हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थीया व अप्रार्थी सख्या 1 की भूमि का सही सीमांकन करते हुए निशान भी दिये, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान करने के पश्चात प्रार्थीया व अप्रार्थी सख्या 1 की कृषि भूमि के मध्य की सीमा निर्धारित की जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढी) कायम नही किये गये इस कारण अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि में सीमाज्ञान होने के पश्चात पुनः प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि की ओर बढते हुए पूर्व में किये गये सीमाज्ञान को प्रभावित कर दिया।

यह है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि के मध्य सीमा निर्धारण को लेकर परस्पर विवाद रहता है, इस कारण प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के मध्य सीमा निर्धारित की जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढी) कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी सख्या 1 प्रश्नगत भूमि का भू-धारक है इसलिए पक्षकारो के मध्य सीमा विवाद के मामले में अप्रार्थी सख्या 2 का पक्ष सुनना भी न्यायहित में आवश्यक है, इस कारण अप्रार्थी सख्या 2 को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है, आदि आदि।

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह ने वकालतनामा व अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 1 में दर्ज पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार नही होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज तथ्य रिकार्ड से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 में दर्ज तथ्य रिकार्ड से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 4 में दर्ज तथ्य मिथ्या, असत्य व मनगढत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया द्वारा सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तथ्य ज्ञान के अभाव मे अस्वीकार है। मुझ अप्रार्थी सख्या 1 की उपस्थिति में कभी सीमाज्ञान की कोई कार्यवाही नही की गई, ना ही मुझ अप्रार्थी सख्या 1 को कभी पटवारी हल्का द्वारा कभी सीमा ज्ञान हेतु बुलाया गया। मौके पर मौजूद पत्थर के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 1 के आधिपत्य व धारण में उसके नाम दर्ज आराजी चली आ रही है। पत्थर नम्बर 102/259 (35) में अप्रार्थी सख्या 1 के आधिपत्य व धारण में .507 हैक्टेयर आराजी है तथा इतनी ही आराजी अप्रार्थी सख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी की कोई पैमाईश पटवारी हल्का द्वारा नही की गई। दैनिक डायरी में पत्थर मौजूद नही होने के तथ्य मिथ्या दर्ज किये है जबकि मौके पर पत्थर नम्बर 101/260 के किला नम्बर 5 में पत्थर मौजूद है तथा उक्त पत्थर से एक बीघा पश्चिमी ओर पैमाईश कर पुली बनाई हुई है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 5 में दर्ज तथ्य मिथ्या, असत्य व मनगढत होने के कारण अस्वीकार है।

पत्थर निशान के अनुसरण में मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के आधिपत्य व धारण में उसके नाम दर्ज आराजी चली आ रही है। पत्थर नम्बर 102/259 (35) में अप्रार्थी सख्या 1 के आधिपत्य व धारण में .507 हैक्टेयर आराजी है तथा इतनी ही आराजी अप्रार्थी सख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, आदि आदि तथ्यों के साथ जवाब पेश किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील/एल/आर/5752/2015/झुन्झुनु न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली से यह तथ्य सामने आये है कि पटवारी हल्का मक्कासर की माह मई 2024 दैनिक डायरी अुनसार तहसीलदार हनुमानगढ के आदेश दिनांक 24.04.2024 की पालना में चक 2 एसटीजी प.न. 101/259 मु.न. 36 कि.न. 15, 16, 25 कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि के सीमाज्ञान हेतु पटवारी हल्का मौके पर पहूंचा, उक्त भूमि के नजदीक मौके पर कोई पत्थर मौजूद नहीं था। उक्त भूमि के नजदीक स्थित पक्के खाले पर मुंस्तकिल पॉइंट को उपस्थित काश्तकारों द्वारा सही बताया गया। उक्त मुस्तकिल पॉईट से उक्त वर्णित भूमि का उपस्थित मौतबिरानों काश्तकारों व साहबराम सहारण जो प्रार्थीया के पति है के समक्ष सीमाज्ञान करवाया गया। मौके पर पडोसी काश्तकार सुरेन्द्र सिंह, बद्रीप्रसाद व श्योपत सिंह पुत्र बद्रीप्रसाद उपस्थित थे किंतु हस्ताक्षर करने से इनकार किया का अंकन हल्का पटवारी ने दैनिक डायरी में किया है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया गुड्डी सहारण अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है कि चक 2 एस.टी.जी. पत्थर नम्बर 101/259 (36) किला नम्बर 15, 16, 25 तादादी 0.759 हैक्टेयर नहरी भूमि के पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुये पत्थर गढी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीया को नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार हनुमानगढ उक्त आदेश की पालना में सीमाज्ञान करवाते हुये विधिवत पत्थरगढी करवाये। अगर आवश्यक्ता हो तो शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ